

न्यायालय कार्यालय अधिकारी
सर्वेन्द्र कुमार शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट
करेका (भीलवाड़ा)

कम. 111/17

वाद

संख्या व तारीख
अदालत जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

11/1/18 न्यायालय कार्यालय अधिकारी संभव
संभव है कि...
न्यायालय के...
संभव है कि...
संभव है कि...

अध्यक्ष अधिकारी
करेका (भीलवाड़ा)

16/1/18 पचावली पेशवादी वकील
अधिवक्ता उपस्थित अतिवृत्ति
आदि से संबंध उपस्थित नहीं
अतिवृत्ति सं 2 राजवाठ वद न
एकतरफा मापना ही ने आदेश
दिये जाने हैं पचावली कले
शुद्ध वारी हेतु दिनांक 9/4/18
का पेशा है।

अध्यक्ष अधिकारी पदेन
सहायक क्लर्क करेका

9/4/18 उक्त पत्र तय्यार पीठासीन अधिकारी सचकीय
कार्य से बाहर है। अतः उक्त पत्र है/पदस्थित है
उक्त पत्रवली दिनांक 11/6/18 का पेशा है।

अध्यक्ष अधिकारी करेका

5.6.18

पचावली मुकाम गाँव पर राजस्थान लोक
अदालत में पेशा है। अधिवक्ता वकील
उपस्थित जि-ई तिरवार पूर्वक सु-11/1/18
अधिवक्ता वकील-ई वाद पर में...
अंशित तथ्यों का दोषार्थ हए विवेक
मिथा कि लगभग 26 वर्ष पूर्व वकील
का दिनांक 11.6.1992 का मोजा

Handwritten signature

तारीख
हुमना

न्यायालय ज. 13 11/17

पदेन सहायक कलकलुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कलकलुम (भीलवाड़ा)

क्र. 111/17 वाद

दीक्षिता अडेरा पं. 10 गोरखपुरा रिपत
 आ. नं. 2896 र. म. 1.10 कीटा
 ग्रामि आंगणतन कमेटी द्वारा आवेदन
 की गई थी। वर्ष 1992 र. ले. नं. 2003
 तक वाकी पक्ष इस ग्रामि का उपयोग
 उपयोग शांतिपूर्ण करत चल आ
 रहे थे। परन्तु वर्ष 2009 में ग्राम
 दीक्षिता अडेरा की मौजा पिताराय
 मल (दादा मेधा गुरि) का विधान होकर
 जबकि परिवारियों के पिला है। एवं
 वादी का नाम मौजा पिताराय मल (दादा
 मिशना गुरि) समान र. म. के मिलता
 जुलता एक ही गाँव तथा एक ही जाति
 होने के वाकी पक्ष को मृत सभामर
 परिवारियों का केशन मान कर उपरोक्त
 वाद ग. र. 1.10 कीटा ग्रामि वि. ग. र.
 संख्या 01 म. ग. र. 03 के नाम उ. म. र.
 कर दी गई। उ. म. र. नामान्तरण प्रतिमा
 अर्कदा निक गौर पर अचुकी जानकारी
 एवं अपूर्ण धमकीन के आधार पर पारित
 कर दिया गया शमी म. र. वाकी पक्ष
 को U/S 88-89, 188 R.T.A. के
 तहत वाद प्र-उ. म. र. प. र.।
 म. र. प. र. पर उपलब्ध र. म. र.
 अ. म. र. के अवलोकन किया। प्रति
 वादीगण द्वारा बार-बार सफा कर
 जाने के उपरान्त भी तथा उ. म. र. प. र.

आलय उपखंड १००

पदेन सहायक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
द्वितीय (नीतिवादी)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

७०६. 11/17 वाद

में जी शार्वजिनिक इलाका के प्रमुख
अनुपस्थित रहने के कारण भी
कमतरफा कार्रवाई अमाल में लाज
जाने के आदेश द्वारा सिद्धांत
वादी के वाद पत्र की तारीख के
शेष पत्र तथा प्रमाण के सम्बन्ध
अधिकतम प्रस्ताव सिद्ध हैं मजूम आभ
गोपाल के सम्बन्ध पत्र द्वारा तथा
अस्थित अनुपस्थितता/शौच लिखित
द्वारा भी विवेक किया कि वादी का
वाद पत्र सही उपयुक्त है।

अतः उपरोक्त विवेक के आधार
पर वादी का वाद पत्र एक वादी सिद्ध
प्रतिवादी गण गेखरा ०१ लगायत ०३
स्वीकार किए जाने के साथ साथ
वाद पत्र उपरोक्त १.१० बीघा भूमि
को वादी को खालेदार सखतकार घोषित
किया जाता है।

: आदेश !

वादी का वाद पत्र एक वादी सिद्ध
प्रतिवादी गण गेखरा ०१ लगायत ०३
स्वीकार किए जाने के तथा वादी को
खालेदार सखतकार घोषित किया जाने
के साथ साथ भी करिया खेद पत्र
गेखरा लहं करेट स्थित अराजि
नं. 2896 सख्या 1.10 बीघा भूमि

तारीख
हुकम

न्यायालय उपखंड अधिकारी

पदेन सहायक क्लर्क/पुस्तक या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
करेखा (भीलवाड़ा)

पुस्तक नं.

117/17

111/17

वाद

जो वर्तमान में प्रतिवादी सेवका का नाम
03 के नाम राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित
है को तिलोपित करके इसकी प्रति
वाफिया के अग्रिम वादी के पक्ष में
राजस्व अभिलेखों में दर्ज रेकर्ड की
जाकर अमल दरमद निरत जानने के
आदेश प्रदान किए जाते हैं। तदुपरोक्त
करके को पालना की लिखा जाने का उपाय
दिने मुक्ति की जाती है।

पदावली क्रम 2 निरत सेवका
की जाकर अग्रिम शुमार है।

दिनांक आज दिनांक 5.6.18 को
शुभ इजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक क्लर्क/पुस्तक करेखा

विद्यार्थी के छात्रनाम

(१ प्रॉब २ प्रॉब ३ के ०९ प्रॉब)

31-1-91

विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है

1. श्रीमती मता राममल उज्ज्वल निंबो

नाम

2. श्रीमती मता मीना उज्ज्वल

3. श्रीमती मता मीना उज्ज्वल

4. श्रीमती मता मीना उज्ज्वल

5. श्रीमती मता मीना उज्ज्वल

6. श्रीमती मता मीना उज्ज्वल

7. श्रीमती मता मीना उज्ज्वल

उज्ज्वल

विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है

विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है

विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है

विद्यार्थी के नाम

विद्यार्थी	विद्यार्थी
विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है	विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है
विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है	विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है
विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है	विद्यार्थी के नाम का प्रकाशित होना अनिवार्य है